प्र/निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/2251

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

1. बसंती पत्नी जवाहर लाल रावत
2. सपना पुत्री जवाहर लाल रावत
3. लोकेन्द्र
4. मतेन्द्र
5. अपरवल पुत्रगण जवाहरलाल
6. चिंरौजी बाई पत्नी श्री शिवचरण रावत
7. पूरन पुत्र शिवचरण रावत समस्त निवासी–ग्राम टोड़ा तहसील बरैड़, जिला शिवपुरी म.प्र. ....**आवेदकगण**

बनाम

1. लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण
2. सुधा पत्नी गजेन्द्र सिंह
3. नरेन्द्र पुत्र राजाराम समस्त निवासीगण–टोड़ा तहसील वैराड़ जिला शिवपुरी म.प्र.

........**अनावेदकगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर द्वारा प्र.क्रं. 67/12–13 /अपील में पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 ।

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, कृषि भूमि स्थित ग्राम टोड़ा तहसल वैराड़ के सर्वे नम्बर 1722,

स्मृति शर्मा एडवो. द्वारा आज दि. 18-7-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2017 July-141

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2241 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुन्दरम श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता एवं अवधि विधान की धारा 5 के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 08.01.14 के विरुद्ध 18.07.2017 को तीन वर्ष से अधिक समय उपरांत पेश की गई है, जो प्रथम दृष्टया अवधि वाह्य है। विलंब के संबंध में उनके द्वारा जो आधार अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में लिए गए हैं, उनकी पुष्टि में संबंधित अधिवक्ता का कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण दिए गए हैं, जबकि विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में दिन–प्रतिदिन के विलंब का स्पष्टीकरण आवश्यक है, जो इस प्रकरण में नहीं है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए कब्जा इंद्राज विलोपित करने के संबंध में जो विवेचना की है, वह उचित और न्यायिक है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि वाह्य होने एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	